

**दिनांक 26.10.2024 को थाना घोसी क्षेत्रान्तर्गत जमीनी विवाद के संबंध में मारपीट व फायरिंग के मामले**

**में 07 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि के पर्वेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 27.10.2024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर मुंगेश नहर पुलिया के पास से मु0अ0सं0 492/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/109/351(3) बीएनएस व 30 आर्म्स एक्ट से संबंधित अभियुक्तगण झारखण्डे राय पुत्र स्व0 शम्भू राय, सतीष राय पुत्र स्व0 शम्भू राय, रितेश राय पुत्र सतीष राय, रत्नेश राय पुत्र झारखण्डे राय, तरूण राय पुत्र कैलाश राय, कैलाश राय पुत्र शिवदत्त राय, राम दरश राय पुत्र शिवदत्त राय निवासीगण ग्राम मुंगेशर थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार किया गया। पुछताछ में अभियुक्त रत्नेश राय पुत्र झारखण्डे के निशानदेही पर अभियुक्त मारकण्डे राय के घर के आलमारी से एक अदद लाइसेन्सी रिवाल्वर, 02 अदद खोंखा कारतूस, 04 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर तथा पास में रखे तीन अदद लाठी डण्डा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान न्यायालय किया गया।

**गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण-**

1. झारखण्डे राय पुत्र स्व0 शम्भू राय निवासी मुंगेशर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 53 वर्ष
2. सतीष राय पुत्र स्व0 शम्भू राय निवासी मुंगेशर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 58 वर्ष
3. रितेश राय पुत्र सतीष राय निवासी मुंगेशर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 24 वर्ष
4. रत्नेश राय पुत्र झारखण्डे राय निवासी मुंगेशर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष
5. तरूण राय पुत्र कैलाश राय निवासी मुंगेशर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 19 वर्ष
6. कैलाश राय पुत्र शिवदत्त राय निवासी मुंगेशर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 56 वर्ष
7. राम दरश राय पुत्र शिवदत्त राय निवासी मुंगेशर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र 66 वर्ष

**बरामदगी का विवरण-**

1. 01 अदद लाइसेन्सी रिवाल्वर।
2. 02 अदद खोंखा कारतूस 04 अदद जिन्दा कारतूस .32 बोर।
3. 03 अदद लाठी डण्डा।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-**

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राज कुमार सिंह थाना घोसी जनपद मऊ
2. निरीक्षक अपराध मोतीलाल पटेल थाना घोसी जनपद मऊ
3. व.उ.नि.कमलकान्त वर्मा थाना घोसी जनपद मऊ
4. उ0नि0 अनिकेत सिंह थाना घोसी जनपद मऊ
5. का.अवनीश कुमार यादव थाना घोसी जनपद मऊ
6. का0 ऋशि कुमार राव थाना घोसी जनपद मऊ
7. का0 मनोज कुमार रावत थाना घोसी जनपद मऊ
8. का0रिशु कुमार थाना घोसी जनपद मऊ

## **02 वांछित अभियुक्तगिरफ्तार-**

आज दिनांक 27.10.2024 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा जरिये मुखबिर की सूचना पर रोडवेज मधुबन से मु0अ0सं0 227/24 धारा 137(2), 87 बीएनएस में वांछित अभियुक्त गोविन्द राजभर पुत्र कुल्लु राजभर निवासी सरवानपुर थाना कोपागंज जनपद मऊ व थाना दक्षिणटोला पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 141/24 धारा 137(2), 87, 151(2), 64(1) बीएनएस व धारा 5(2)/6 पॉक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त अभिषेक यादव पुत्र रामजनम यादव निवासी बैराथपुर थाना दक्षिणटोला जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

## **महिला एच्छक ब्यूरो के प्रयास से 08 दंपती साथ साथ रहने को हुए राजी, 51 मामलों में से 13 मामलों का हुआ निस्तारण-**

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में आज दिनांक 27.10.2024 को महिला एच्छक ब्यूरो की बैठक पुलिस कार्यालय में सम्पन्न हुयी। इस दौरान एच्छक ब्यूरो के सदस्यों के समक्ष कुल 51 मामले आये जिसमें एच्छक ब्यूरो के सदस्यों के प्रयास से 13 मामलों का निस्तारण हुआ तथा 08 दंपति ज्योति/वरुण, अबूवकर/शमा परवीन, रिकू/धर्मेन्द्र, पानमती/शशिकान्त, पूनम/अखिलेश, अर्चना/पप्पू यादव, नगमा/नदीम, स्नेहा/रमाकांत आपसी मतभेद भुलाकर एक दुसरे के साथ रहने को राजी हुए। 01 मामले में एफआईआर का निर्णय तथा 05 फाईलें पक्षकारों की उदासीनता से बन्द की गयी । अन्य मामलों के निस्तारण हेतु ब्यूरो की बैठक की अगली तारीख 10.11.2024 दी गयी है। एच्छक ब्यूरो की बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री महेश सिंह अत्रि, अर्चना उपाध्याय, सर्वेश दूबे, शाहिद पैरिस, मौलवी अरशद, उ0नि0 समरजीत यादव, म0आ0 पुनम पाल, राजलक्ष्मी उपस्थित रही ।